



राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:एफ24(फीस.)/बी.एड./निकाशि/2020/274

दिनांक:-21-7-2020

सचिव/प्राचार्य,
निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-द्वितीय वर्ष एवं आगामी कक्षाओं की फीस के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:-शिक्षा(ग्रुप-4)विभाग का पत्र क्रमांक 11(3)शिक्षा-4/2009/पार्ट
दिनांक 20.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड-19 महामारी की आपदा की विषम परिस्थितियों के कारण कॉलेज मार्च, 2020 से ही बन्द हैं। कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से फीस, लेट फीस, होस्टल फीस, मैस फीस आदि की मांग की जा रही है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों से फीस वसूल करने में सहानुभूति बरती जावे व विद्यार्थियों को फीस जमा कराने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जावें। विद्यार्थियों से विलम्ब शुल्क, छात्रावास शुल्क व मैस शुल्क आदि की मांग नहीं की जावे। प्रथम वर्ष के पश्चात अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क एवं कौशन मनी (36+180) वसूल नहीं की जावे। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

भवदीय,

निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. कुल सचिव, समस्त सम्बन्धित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. कुल सचिव, समस्त सम्बन्धित निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. समन्वयक, पी.टी.ई.टी., राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
7. समन्वयक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी वेबसाइट, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।